



छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर
शंकर नगर मार्ग, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष 0771-2439564, फ़ैक्स-0771-2331525, 2446556 वेबसाईट : www.psc.cg.gov.in

क्रमांक 276 / 08 / 2017 / प.गो.

रायपुर, दिनांक 15-09-2017

—:: प्रेस विज्ञप्ति ::—

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के विज्ञापन क्रमांक 05/2017/परीक्षा/दिनांक 12.04.2017 प्रकाशन की तिथि 19.04.2017 के द्वारा विधि एवं विधायी कार्य विभाग के अंतर्गत व्यवहार न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) परीक्षा-2017 के कुल-25 पद विज्ञापित किए गए थे।

व्यवहार न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) परीक्षा-2017 का आयोजन दिनांक 25 जून 2017 को ऑनलाईन लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया।

व्यवहार न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) परीक्षा-2017 के विज्ञापित पदों का 10 गुणा अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु चिन्हांकन किया जाना था, परंतु वर्गवार/उपवर्गवार अंतिम चिन्हांकित अभ्यर्थी के समान प्राप्तांकों की पुनरावृत्ति होने के कारण कुल-272 अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा हेतु चिन्हांकित हुए।

व्यवहार न्यायाधीश (मुख्य) परीक्षा-2017 की परीक्षा तिथि पृथक से घोषित की जाएगी। मुख्य परीक्षा हेतु प्रत्येक चिन्हांकित अभ्यर्थी को ऑनलाईन आवेदन करना अनिवार्य है। इस संबंध में विस्तृत सूचना आयोग द्वारा पृथक से जारी की जाएगी।

व्यवहार न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) परीक्षा-2017 के लिखित परीक्षा परिणाम आयोग की अधिकृत वेबसाईट www.psc.cg.gov.in पर जारी (अपलोड) कर दिए गए हैं।


12/9/17
परीक्षा नियंत्रक

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग,
रायपुर



छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर

शंकर नगर मार्ग, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष 0771-2439564, फैक्स-0771-2331525, 2446556 वेबसाइट : www.psc.cg.gov.in

क्रमांक २७७/०८/२०१७/प.गो.

रायपुर, दिनांक १५-०९-२०१७

लिखित परीक्षा परिणाम

व्यवहार न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) परीक्षा-२०१७

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के विज्ञापन क्रमांक ०५/२०१७/परीक्षा/दिनांक १२.०४.२०१७ प्रकाशन की तिथि १९.०४.२०१७ द्वारा विधि एवं विधायी कार्य विभाग के अंतर्गत व्यवहार न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) परीक्षा-२०१७ के कुल-२५ पद विज्ञापित किए गए थे। दिनांक २५ जून २०१७ को आयोजित ऑनलाईन परीक्षा के प्राप्तांकों व वर्गवार/उपवर्गवार अर्ह अभ्यर्थियों की उपलब्धता के आधार पर कुल-२७२ अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु चिन्हांकित किया गया है जिनके अनुक्रमांक बढ़ते क्रम में निम्नानुसार हैं:-

1705100047	1705100055	1705100060	1705100064	1705100065
1705100099	1705100101	1705100108	1705100130	1705100139
1705100143	1705100150	1705100183	1705100191	1705100247
1705100249	1705100289	1705100309	1705100313	1705100329
1705100340	1705100353	1705100360	1705100368	1705100383
1705100389	1705100400	1705100412	1705100426	1705100427
1705100454	1705100457	1705100465	1705100476	1705100477
1705100496	1705100499	1705100516	1705100524	1705100562
1705100573	1705100593	1705100609	1705100622	1705100624
1705100641	1705100648	1705100656	1705100661	1705100667
1705100713	1705100726	1705100799	1705100800	1705100810
1705100830	1705100843	1705100845	1705100852	1705100854
1705100878	1705100886	1705100897	1705100905	1705100931
1705100932	1705100940	1705100946	1705100947	1705100968
1705100988	1705100997	1705101046	1705101064	1705101085
1705101096	1705101108	1705101115	1705101120	1705101133
1705101192	1705101203	1705101243	1705101247	1705101267
1705101312	1705101347	1705101367	1705101382	1705101393
1705101395	1705101410	1705101434	1705101435	1705101455
1705101467	1705101470	1705101494	1705101537	1705101567
1705101609	1705101614	1705101621	1705101625	1705101651
1705101654	1705101662	1705101671	1705101765	1705101781
1705101793	1705101805	1705101810	1705101818	1705101823
1705101831	1705101850	1705101879	1705101880	1705101907
1705101910	1705101915	1705101918	1705101945	1705101960



1705101961	1705102021	1705102027	1705102034	1705102037
1705102086	1705102096	1705102126	1705102127	1705102157
1705102199	1705102217	1705102221	1705102225	1705102237
1705102252	1705102275	1705102284	1705102298	1705102341
1705102342	1705102358	1705102419	1705102422	1705102430
1705102440	1705102455	1705102457	1705102517	1705102519
1705102551	1705102617	1705102625	1705102634	1705102652
1705102656	1705102681	1705102699	1705102726	1705102738
1705102779	1705102804	1705102818	1705102820	1705102825
1705102852	1705102853	1705102901	1705102915	1705102925
1705102937	1705102946	1705102984	1705102995	1705102998
1705103001	1705103036	1705103076	1705103083	1705103108
1705103130	1705103156	1705103187	1705103202	1705103243
1705103275	1705103320	1705103322	1705103393	1705103406
1705103407	1705103409	1705103426	1705103428	1705103447
1705103478	1705103480	1705103483	1705103516	1705103535
1705103550	1705103559	1705103565	1705103581	1705103583
1705103688	1705103695	1705103704	1705103712	1705103732
1705103733	1705103740	1705103753	1705103808	1705103810
1705103834	1705103860	1705103863	1705103866	1705103892
1705103906	1705103926	1705103940	1705103965	1705103974
1705104004	1705104015	1705104044	1705104046	1705104055
1705104149	1705104162	1705104205	1705104240	1705104253
1705104255	1705104275	1705104323	1705104334	1705104354
1705104372	1705104443	1705104480	1705104508	1705104531
1705104542	1705104589	1705104642	1705104649	1705104652
1705104675	1705104713	1705104720	1705104752	1705104754
1705104807	1705104836	1705104859	1705104871	1705104907
1705104944	1705105146	1705105185	1705105243	1705105260
1705105280	1705105317	X	X	X

Total - 272

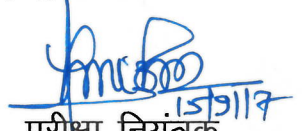
टीप:—

1. व्यवहार न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) परीक्षा-2017 हेतु आयोजित लिखित परीक्षा के आधार पर मुख्य परीक्षा हेतु उपर्युक्तानुसार चिन्हांकित अभ्यर्थियों की अर्हता छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के विज्ञापन क्रमांक 05/2017/परीक्षा/दिनांक 12.04.2017 प्रकाशन की तिथि 19.04.2017 की समस्त कंडिकाओं में वर्णित प्रावधानों तथा छत्तीसगढ़ शासन के विद्यमान नियमों के अधीन होगी।
2. किसी वर्ग अथवा उपवर्ग में चिन्हांकित अंतिम अभ्यर्थी के समान प्राप्तांक वाले अभ्यर्थी भी मुख्य परीक्षा हेतु चिन्हांकित किए जाते हैं।



3. व्यवहार न्यायाधीश (मुख्य) परीक्षा-2017 हेतु उक्त अभ्यर्थियों का चिन्हांकन पूर्णतः प्रावधिक है तथा चिन्हांकन/चयन के किसी भी स्तर पर किसी भी अभ्यर्थी को अयोग्य पाए जाने पर आयोग द्वारा अनर्ह घोषित कर चिन्हांकन/चयन प्रक्रिया से पृथक किया जा सकता है।
4. व्यवहार न्यायाधीश (मुख्य) परीक्षा-2017 की परीक्षा तिथि पृथक से घोषित की जाएगी।
5. व्यवहार न्यायाधीश (मुख्य) परीक्षा-2017 हेतु चिन्हांकित अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाईन आवेदन करना अनिवार्य है। इस संबंध में विस्तृत सूचना आयोग द्वारा पृथक से जारी की जाएगी।
6. व्यवहार न्यायाधीश (मुख्य) परीक्षा-2017 हेतु चिन्हांकित अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आयोग की वेबसाइट www.psc.cg.gov.in का नियमित अवलोकन करते रहे।
7. उपर्युक्तानुसार घोषित लिखित परीक्षा परिणाम में अंकण/टंकण/मुद्रण/प्रक्रिया संबंधी त्रुटि होने पर आयोग में संधारित मूल डाटा के आधार पर तैयार सूची ही मान्य होगी एवं तदनुसार लिखित परीक्षा परिणाम संशोधित किया जा सकेगा।

(छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा अनुमोदित)


परीक्षा नियंत्रक
छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग,
रायपुर